"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 164] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 15 जून 2010—ज्येष्ठ 25, शक 1932

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 जून 2010

अधिसूचना

क्रमांक 3083/ एफ 1-49/2009/38-1.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग (राजपत्रित) सेवा में संविदा नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

नियम

1. **संक्षिप्त नाम, लागू होना तथा प्रारंभ :** (1) ये नियम छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा (संविदा सेवा) नियम, 2010 कहलाएंगे.

(2) किन्हीं अन्य नियमों में अन्यत्र अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम संविदा शिक्षकों, क्रीडाधिकारियों एवं ग्रंथपालों पर लागू होंगे.

(3) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएँ :** इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, शासन या प्राधिकारी जिसे सेवा या पद पर नियुक्ति करने की शक्ति, जो सेवा या पद से संबंधित भर्ती नियमों में प्रदत्त हो अथवा शासन द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्रदत्त की गई हो या इसके पश्चात् प्रदत्त की जाए ;

(ख) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ;

(ग) "शासन" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन ;

(घ) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य ;

(ङ) "विभागीय भर्ती नियम" से अभिप्रेत है, संबंधित सेवा या पद के लिए प्रचलित भर्ती नियम ;

(च) "आयोग" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग.

3. **संविदा नियुक्ति के लिए पद :** संविदा भर्ती नियमों में किसी बात के अध्यधीन रहते हुए, शासन सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उसमें उल्लिखित विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए, उक्त आदेश में सीधी भर्ती हेतु किसी पद को संविदा नियुक्ति का पद घोषित कर सकेगा ;

परंतु जो पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले हैं, ऐसे पदों को संविदा नियुक्ति के पद के रूप में घोषित नहीं किया जा सकेगा.

परंतु यह और भी कि पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों के लिए न्यूनतम अर्हता प्राप्त शासकीय सेवकों की अनुपलब्धता की दशा में अथवा अपरिहार्य कारणों से, पदों की पूर्ति संभव न हो, तो पदोन्नति किये जाने तक की कालावधि के लिए ऐसे पद संविदा द्वारा भरे जा सकेंगे.

4. **नियुक्ति का तरीका :**

(एक) नियम 3 के अंतर्गत संविदा नियुक्ति के घोषित पद, आदेश में उल्लिखित कालावधि के लिए संविदा द्वारा भरे जा सकेंगे.

संविदा नियुक्ति दो प्रकार से की जा सकेगी :-

(क) सीधी भर्ती द्वारा संविदा नियुक्ति.

(ख) शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त व्यक्तियों की संविदा नियुक्ति.

(दो) सीधी भर्ती द्वारा संविदा नियुक्ति, राज्य के रोजगार कार्यालय से अभ्यर्थियों के नाम प्राप्त कर अथवा लोक विज्ञापन के द्वारा की जा सकेगी. शासकीय सेवाओं से सेवानिवृत्त व्यक्तियों की संविदा नियुक्ति, लोक विज्ञापन के माध्यम से अथवा व्यक्ति विशेष की योग्यता और उपयुक्तता के आधार पर, वित्त विभाग की सहमति से की जा सकेगी.

(तीन) (1) समस्त नियुक्तियाँ, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, इस प्रयोजन हेतु गठित छानबीन (जाँच) समिति द्वारा तैयार की गई मेरिट सूची से मेरिट के आधार पर की जायेगी.

(2) समिति, अभ्यर्थियों द्वारा अर्जित मेरिट अंकों के आधार पर शिक्षकों, क्रीड़ाधिकारियों एवं ग्रंथपाल की एक मेरिट सूची तैयार करेगी.

(3) मेरिट सूची तैयार किये जाने के लिए मेरिट अंक अधिकतम 100 होंगे, इसके लिए निम्नलिखित मापदण्ड अपनाया जायेगा.

(क)	पी. एच. डी. तथा नेट/सेट के लिए	50 मेरिट अंक
(ख)	एम. फिल तथा नेट/सेट के लिए	40 मेरिट अंक
(ग)	नेट/सेट के लिए	30 मेरिट अंक
(घ)	पी. एच. डी. के लिए	20 मेरिट अंक
(ङ)	एम. फिल के लिए	10 मेरिट अंक
	स्नातकोत्तर स्तर पर प्राप्तांकों के लिये	50 मेरिट अंक

(55% के लिए-5 मेरिट अंक तथा तत्पश्चात् 56 से 100 के बीच प्राप्तांकों के प्रत्येक प्रतिशत के लिये 1 मेरिट अंक दिया जायेगा)

(क) संविदा नियुक्ति के लिए नियुक्ति प्राधिकारी, समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी करायेगा तथा

(अ) प्राचार्य कार्यालय के सूचना पटल पर,
(ब) संबंधित विषय के विभागीय सूचना पटल पर,
(स) स्थानीय निकायों जैसे नगर निगम/परिषद् इत्यादि कार्यालय के सूचना पटल पर,
(द) जिले के अन्य महाविद्यालयों के सूचना पटल पर, आवेदन आमंत्रित करने के दौरान प्रदर्शित करने के लिए भी व्यवस्था करेगा.

(ख) समस्त आवेदन पत्रों की प्रविष्टियां, एक पृथक रजिस्टर में की जायेगी, अंतिम प्रविष्टि के पश्चात् रजिस्टर में प्राचार्य तथा संबंधित प्राध्यापक द्वारा अपना हस्ताक्षर करना तथा प्राप्त आवेदनों की संख्या प्रमाणित करना आवश्यक होगा.

5. **आयु सीमा :** (क) सीधी भर्ती द्वारा संविदा नियुक्ति के लिये आयु सीमा वही होगी, जो संबंधित पद या सेवा के लिए विभागीय भर्ती नियम में विहित हो, परंतु आयु सीमा में छूट के संबंध में, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेश, निर्देश, संविदा नियुक्ति के लिये भी लागू होंगे.

(ख) सेवानिवृत्त व्यक्तियों की संविदा नियुक्ति, अधिकतम 65 वर्ष की आयु के अध्यधीन होगी.

6. **नियुक्ति के लिए पात्रता तथा अर्हताएं :-** (1) न्यूनतम 55% अंकों के साथ संबंधित विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री अथवा किसी भारतीय विश्वविद्यालय से अथवा विदेशी विश्वविद्यालय से समकक्ष डिग्री प्राप्त होना चाहिये.

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए 5% अंकों की छूट दी जायेगी.

(2) यू. जी. सी. अथवा सी. एस. आई. आर. द्वारा आयोजित पात्रता परीक्षा (नेट) अथवा राज्य सरकार द्वारा आयोजित (सेट) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए.

परन्तु पी. एच. डी. डिग्री वाले अभ्यर्थियों को उपरोक्त परीक्षा उत्तीर्ण होने से छूट दी जाएगी तथा वे स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर के अन्तर्गत अध्यापन हेतु पात्र होंगे.

परन्तु यह और भी कि एम. फिल. डिग्री वाले अभ्यर्थियों को उपरोक्त परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट दी जायेगी तथा वे केवल स्नातक स्तर के अन्तर्गत अध्यापन हेतु पात्र होंगे.

नोट :- (क) उपर्युक्त आवश्यक अर्हतायें, आवेदन पत्र के प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि पर अथवा उसके पूर्व अर्जित किया जाना चाहिये. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् अर्जित शैक्षणिक अर्हतायें मान्य नहीं होगी तथा एक बार आवेदन भेजने के पश्चात् आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार के संशोधन करने के लिए अनुमति नहीं दी जायेगी.

(ख) आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में नेट/सेट/पी. एच. डी./एम. फिल. धारक अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की दशा में, स्नातकोत्तर स्तर में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की गई मेरिट सूची के आधार पर चयन किया जायेगा.

7. **आरक्षण :-** सीधी भर्ती द्वारा संविदा नियुक्ति के समस्त पदों पर, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) एवं उसके अधीन जारी नियम/निर्देश लागू होंगे. इसके अतिरिक्त महिला एवं विकलांग अभ्यर्थियों के लिए प्रवृत्त आरक्षण नियम /निर्देश भी लागू होंगे.

8. **वेतन :-** (1) संविदा सेवा में केवल मासिक रूप से एकमुश्त वेतन देय होगा. इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, डी. ए. (महंगाई भत्ता), क्षतिपूर्ति भत्ता, एच. आर. ए. (गृह भाड़ा भत्ता) इत्यादि नहीं दिया जायेगा, संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को वार्षिक वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होगी.

(2) मासिक रूप से एकमुश्त वेतन का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा :-

(क) सीधी भर्ती द्वारा संविदा नियुक्ति की दशा में, मासिक रूप से एकमुश्त वेतन, वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा नियत किया जायेगा. परन्तु यह उसके समतुल्य पद के कुल या न्यूनतम मूल वेतन तथा नियुक्ति वर्ष की पहली जनवरी को देय डी. ए. (महंगाई भत्ते) से अधिक नहीं होगी.

(ख) सेवानिवृत्त व्यक्ति की संविदा नियुक्ति की दशा में मासिक रूप से एकमुश्त वेतन का निर्धारण (नियतन), उसके सेवानिवृत्ति के समय देय मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता (प्लस) संविदा पदस्थापना के स्थान पर देय मकान किराया भत्ता (यदि शासकीय आवास गृह धारित नहीं है) (प्लस) पदस्थापना स्थान पर देय नगर क्षतिपूर्ति भत्ता (माइनस) पेंशन (सारांशीकरण के पूर्व का) (प्लस) पेंशन पर राहत के आधार पर होगा.

9. **नियुक्ति की अवधि :-** संविदा नियुक्ति के लिये सामान्य अवधि केवल एक वर्ष की होगी. विभाग, आवश्यकता के अनुसार एवं संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर, नियुक्ति कालावधि के विस्तार का निर्णय ले सकेगा. संविदा अवधि की समाप्ति पर संविदा, स्वयंमेव समाप्त हो जायेगी.

10. **छानबीन (जांच) समिति :-** छानबीन (जांच) समिति में निम्नलिखित सदस्य समाविष्ट होंगे :-

(एक)	प्राचार्य	-	अध्यक्ष
(दो)	संबंधित विषय के विभागाध्यक्ष	-	सदस्य
(तीन)	**प्राचार्य द्वारा नामांकित किसी अन्य विषय के वरिष्ठ प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक**	-	**सदस्य**

(यथा संभव किसी भी सदस्य को एक से अधिक छानबीन (जांच) समिति में नामांकित नहीं किया जायेगा)

11. **अवकाश की पात्रता :-** सीधी भर्ती द्वारा संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 18 दिनों का आकस्मिक अवकाश तथा 3 दिनों के ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी. वर्ष के मध्य में नियुक्त होने अथवा सेवामुक्त होने की दशा में आकस्मिक अवकाश हेतु पात्रता की गणना पूर्ण महीनों के लिए अनुपातिक आधार पर किया जायेगा.

12. **यात्रा भत्ता :-** सीधी भर्ती द्वारा संविदा पर नियुक्त व्यक्ति जो पद धारण करते हो, उस पद के शासकीय सेवकों के समकक्ष यात्रा भत्ते की पात्रता होगी.

(2) सेवानिवृत्त व्यक्ति की संविदा नियुक्ति की होने पर यात्रा भत्ते की पात्रता उसी प्रकार होगी जैसा कि उसकी सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व उपभोग करता था.

13. **अन्य शर्तें :-** (क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 द्वारा शासित होंगे.

(ख) इन नियमों के अधीन कोई भी नियुक्ति, संबंधित प्रवर्ग या उससे उच्च प्रवर्ग के रिक्त पदों के विरुद्ध की जायेगी.

(ग) इन नियमों के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा विकलांग व्यक्तियों के लिए नियुक्तियां, लागू प्रचलित आरक्षण नियमों द्वारा शासित होंगी. इस प्रयोजन के लिए रोस्टर, राज्य स्तर पर संधारित किया जायेगा.

(घ) महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबन्ध) नियम, 1997 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार रहेगा.

(ङ) इन नियमों के अधीन कोई भी पक्षकार, अग्रिम तौर पर एक मांह की सूचना देकर या अग्रिम तौर पर एक माह का वेतन भुगतान कर, नियुक्ति समाप्त कर सकेगा.

(च) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जाएगा, ताकि यदि आगामी वर्ष, उन्हें पुन: संविदा नियुक्ति दी जानी हो तो उसके कार्य का मूल्यांकन किया जा सके.

(छ) सीधी भर्ती द्वारा संविदा पर नियुक्त कर्मचारी, अपने परिवार की सामाजिक सुरक्षा के लिये उसकी संविदा राशि की न्यूनतम 10% राशि जीवन बीमा पेंशन योजना अथवा पी. पी. एफ. में जमा करेगा तथा इस तथ्य की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को देगा कि उसने योजना का चुनाव कर लिया है.

(ज) संविदा पर नियुक्त सेवानिवृत्त व्यक्ति को शासकीय आवास में रहने की पात्रता रहेगी तथा उससे छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम के नियम 45-क के अधीन लाइसेंस शुल्क की वसूली की जायेगी. उसे अन्य शासकीय सेवकों के समान चिकित्सा प्रतिपूर्ति सुविधा की पात्रता होगी.

(झ) सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होगी, जैसा कि नियुक्ति पत्र में विनिर्दिष्ट किया जाए.

14. **निर्वचन** :- यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो तो उसको शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका निर्णय अंतिम होगा.

15. **निरसन तथा व्यावृत्ति** :- इन नियमों के तत्स्थानी समस्त नियम और निर्देश जो कि इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं.

परन्तु इन नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्यवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाई समझी जाएगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एस. दीक्षित, उप सचिव.

रायपुर, दिनांक 15 जून 2010

क्रमांक 3080 एफ1-49/2009/38-1.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3080 एफ 1-49/2009/38-1, दिनांक 15-6-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एस. दीक्षित, उप सचिव.

Raipur, the 15th June 2010

NOTIFICATION

No. 3083/ F 1-49/2009/38-1.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh makes the following rules relating to the Contract Appointment in Chhattisgarh Higher Education Department (Gazetted) Service, namely :-

RULES

1. **Short title, applications and commencement :** (1) These rules may be called the Chhattisgarh Ucchha Shiksha (Samvida Sewa) Niyam, 2010.

(2) Without prejudice to the generality of the provisions contained elsewhere in any other rules, these rules shall apply to contract teachers, sports officers and librarians.

(3) They shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions :** In these rules, unless the context otherwise requires :-

(a) "Appointing Authority" means the Government or the authority who has been conferred with powers to appoint on the service or post, conferred in the recruitment rules regarding the service or post or conferred by the Government by general or specific order or leter on conferred hereafter ;

(b) "Governor" means the Governor of Chhattisgarh ;

(c) "Government" means the Government of Chhattisgarh ;

(d) "State" means the State of Chhattisgarh ;

(e) "Departmental Recruitment Rules" means the prevailing Recruitment Rules for concerning service or post ;

(f) "Commission" means Chhattisgarh Public Service Commission.

3. **Posts for Contract Appointment :** Subject to anything in Contract Recruitment Rules, the Government may declare any post for direct recruitment as posts on Contract Appointment by general or specific order, in the said order for the specified period mentioned there in :

Provided that such posts cannot be declared as posts for contract appointment, which are to be filled by promotion.

Provided further that in case of non-availability of Government servants for the posts to be filled up by promotion with minimum qualification or due to unavoidable reasons, filling of the posts are not possible, such posts may be filled by contract for a period till promotions are made.

4. **Method of Appointment :**

(One) Declared posts of contract appointment may be filled by contract, for a period mentioned in the order, under rule 3.

Contract appointment may be made by two ways.

(a) Contract appointment by Direct Recruitments.

(b) Contract appointment of retired persons from Government Service.

(Two) Contract appointment may be done by direct recruitment by inviting names of candidates from Employment Exchange Offices of the State or by public advertisement. Contract appointment of retired persons from Government Services can be made through public advertisement or on the basis of his ability and suitability of particular person, with concurrence of finance department.

(Three) (1) All appointment shall be made by appointing authority, as per merit, from the merit list prepared by the scrutiny committee constituted for this purpose.

(2) The Committee shall prepare a merit list of teachers, sports officers and librarian based on the merit marks earned by the candidate.

(3) For preparation of merit list, there shall be maximum 100 merit marks, the following criterion be adopted.

(a)	For Ph. D. and NET/SET	50 merit marks
(b)	For M. Phil and NET/SET	40 merit marks
(c)	For NET/SET	30 merit marks
(d)	For Ph. D.	20 merit marks
(e)	For M. Phil	10 merit marks

For marks obtained at Post Graduate level 50 merit marks

(For 55%-5 merit marks, and thereafter 1 merit mark shall be awarded for every percent mark obtained between 56 to 100).

(a) The Appointing Authority shall issue advertisement in newspapers for contract appointment and shall also make arrangements to display the same-

(i) In the Public Notice Board of the Principal,
(ii) In the Departmental Notice Board of the concerning subject,
(iii) In the Notice Board of Local Bodies like Municipal Corporations/Council etc.,
(iv) In the Notice Board of other colleges of the District, while inviting applications.

(b) Entries of all the application forms shall be made in a separate Register, it shall be incumbent upon the principal and the concerning professor to put their signatures in the Register after the last entry and certify the number of forms received.

5. **Age limit :**

(1) Age limit for contract appointment by direct recruitment shall be made the same as prescribed in Departmental Recruitment Rules for the same related posts or services, but orders, instructions issued relating to relaxation in age limit by the General Administration Department, from time to time, shall be applicable for contract appointment also.

(2) Contract appointment of Retired persons shall be subject to the maximum age of 65 years.

6. **Eligibility and qualifications for appointment :**

(1) The Candidate must have obtained a post graduate degree in the relevant subject with at least 55% marks or an equivalent degree from an Indian University or a Foreign University.

There shall be a relaxation of 5% marks for Scheduled Castes and Scheduled Tribes applicants.

(2) Must have cleared the Eligibility Test (NET) conducted by U. G. C. or C. S. I. R. OR (SET) examinations conducted by the State Government :

Provided that the candidates having Ph. D. degree shall be exempted from clearing the above examination and they shall be eligible for teaching at under graduate and post graduate level.

Provided further that the candidates having M. Phil degree shall be exempted from clearing the above examination and they shall be eligible for teaching at under graduate level only.

Note : (a) The above essential qualifications must have been acquired on or before the last date of submission of application form. Educational Qualifications acquired after the submission of application form shall not be entertained and permission for making any correction in the application form shall be given, once it has been sent.

(b) In case of non availability of NET/SET/Ph.D./M. Phil candidates in Tribal Sub-project Areas, selection shall be made based on the merit list prepared on the basis of marks obtained at Post Graduate level.

7. **Reservation :** Chhattisgarh Lok Sewa (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye (Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and rules/ instructions issued here in shall apply to all posts of contract appointment by direct recruitment. Besides reservation rules/ instructions in force for women and handicapped, etc. shall also be applicable.

8. **Pay :**

(1) Monthly lump- sum pay shall only be payable in contract services. In addition to it no special pay, D. A., compensation allowances, H. R. A., etc. will be paid ; persons appointed on contract shall not be eligible for annual increments.

(2) Determination of monthly lump-sum pay shall be as follows :-

(a) In case of contract appointment by direct recruitment, monthly lump-sum pay shall be fixed by the general or specific orders issued from time to time by the Finance Department. But this shall not exceed the total or minimum basic pay and D. A. payable on 1st January of appointment of the similar post.

(b) Determination (fixation) of monthly lump-sum pay in case of contract appointment of retired person shall be Basic pay and dearness allowance at the time of retirement (Plus) House Rent Allowance applicable at the place of contract posting (If Government quarter is not occupied) (Plus) City Compensatory Allowance at the place of posting (Minus) Pension (Before Commutation) (Plus) Relief on Pension.

9. **Tenure of Appointment :** The normal tenure for contract appointment shall be for merely a year. The Department may take decision to extend the period of appointment according to necessity and on assessing the suitability of the person appointed on contract. The contract shall stand automatically terminated on the expiry of the contract period.

10. **Scrutiny Committee :** The Scrutiny Committee shall comprise of the following members :-

(i)	Principal	-	Chairman
(ii)	Head of the Department of the concerning subject	-	Member
(iii)	Senior Professor/Assistant Professor of any subject, to be nominated by the Principal.	-	Member

(As for as possible, no member shall be nominated in more than one Scrutiny Committee)

11. **Eligibility for Leave** : Persons appointed on contract by direct recruitment shall be eligible for 18 days Casual Leave and 3 days of Optional Leave in each calendar year. In case of mid- year appointments, or on termination of service, eligibility for casual leave shall be calculated for full complete months on proportional basis.

12. **Travelling Allowances :**

(1) Persons appointed on contract by direct recruitment, shall be eligible for T. A. equivalent to the Government Servant, he holds.

(2) Retired persons, on contract appointment, shall be eligible for T. A. in the same way as he was availing immediately before his retirement.

13. **Other Conditions :**

(a) Persons appointed on contract basis shall be governed by the Chhattisgarh Civil Service (Conduct) Rules, 1965.

(b) Appointment shall be made under this rules against vacant posts of existing cadre or higher cadre.

(c) Appointment under these rules shall be governed by the prevailing reservation rules applicable for Scheduled Casets, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and handicapped persons. The roster for their purpose shall be maintained at state level.

(d) Reservation for women candidates shall be done in accordance with the provisions contained in Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997.

(e) Under these rules either of the parties may terminate the appointment by giving one month's notice in advance or paying one month's salary in advance.

(f) Confidential Report of the person, appointed on contract basis shall be written so that his work may be assessed, if he is to be reappointed on contract, next year.

(g) Employee, appointed on contract by direct recruitment, shall deposit minimum 10% of his contract amount for social security of his family in L. I. C. pension scheme or P. P. F. and he shall intimate this fact to the Appointing Authority about the scheme he has opted.

(h) Retired persons, appointed on contract shall be eligible to retain government quarters and licence fee under Rule 45-A of Chhattisgarh Fundamental Rule shall be recovered from him. He shall be recovered from him. He shall be entitled to Medical Reimbursement Facility, like any other Government servent.

(i) Other conditions of services may be, as specified in the appointment letter.

14. **Interpretations :** If any question arising relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government, whose decision thereon shall be final.

15. **Repeal and Savings :** All rules and instructions corresponding to these rules which were in force immediately before the comencement of these rules are hereby repealed provisions of these rules :

Provided that any order made or action taken under these rules shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provision of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
J. S. DIXIT, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.